1	2	3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

13.12.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 01/2020–21

आलेनवी अंसारी प्रति रूबीना बीबी

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 735R27/2019–20 में दिनांक 06.03.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रस्तुत अपील अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 735R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

02 अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा प्रत्यर्थी के मेल में गलत नामांतरण किया गया है।

03 वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत् प्लॉट में बसंत कुमार सिंह पिता रणधीर सिंह से जो पुराना खाता सं0 154 पुराना प्लॉट सं0 542 से नया खाता सं0 141 नया प्लॉट सं0 2802 बना है। में रकबा 0.47 एकड़ भूमि अपीलार्थी ने क्रय किया एवं दखल कब्जे में आए एवं नामांतरण कराकर लगान रसीद कटाते चले आ रहे है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की भूमि का गलत ढंग से केवाला कराकर अंचल अधिकारी, रमना हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर नामांतरण वाद कर दोहरी जमाबंदी कायम करा लिया जो सरासर गलत है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के नामांतरण अपील को स्वीकृत करते हुए, अंचल अधिकारी, रमना के नामान्तरण वाद सं0 735R27/2019–20 में पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 केवाला सं0 9518 की छायाप्रति	..... 05 फर्द
02 केवाला सं0 6121 की छायाप्रति	..... 03 फर्द
03 केवाला सं0 587 की छायाप्रति	..... 03 फर्द
04 केवाला सं0 1383 की छायाप्रति	..... 08 फर्द
05 हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति	..... 01 फर्द
06 ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति	..... 03 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपीलार्थी का अपील गलत तथ्यों पर आधारित है जो खारिज योग्य है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

02 अपीलार्थी ने नाहक तंग वो परेशान करने के उद्देश्य से यह गलत अपील ग्राम बुल्का के खाता सं0 154 पुराना 141 नया प्लॉट सं0 542 पुराना 2802 नया रकबा 42 डीसमील भूमि लाया गया है।

03 वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि भूतपूर्व जमींदार बलराम सिंह के पिता राजकरण सिंह की थी जिसका माल A.R. केश नं0 15N/1956 -57 से बंधा है तथा उसके नाम लगान रसीद कटते चली आती थी। बलराम सिंह के पुत्र जय कुमार सिंह है।

04 बलराम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जयकुमार सिंह ने उक्त प्लॉट में रकबा 42 डीसमील भूमि प्रत्यर्थी के नाम केवाला सं0 1658 दिनांक 11.12.2019 से बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिये।

05 भूमि क्रय करने के पश्चात् प्रत्यर्थी प्रश्नगत प्लॉट के दखल कब्जे में आई एवं नामांतरण हेतु अंचल में आवेदन दी जिस पर विधिवत अभिलेख कायम कर केवाला एवं दखल कब्जे को सही पाकर प्रत्यर्थी के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया एवं लगान रसीद निर्गत किया गया।

06 हाल सर्वे के खाता प्रत्यर्थी के बिक्रेता के दादा के नाम बना है जिससे प्रत्यर्थी ने भूमि क्रय किया हैं।

07 अपीलार्थी के पास प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है एवं अपील कालांतीत होने के बाद दायर किया गया है।

08 प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी का दखल कब्जा वो कागजात दोनों हैं।

09 प्रत्यर्थी अपीलार्थी के अपील आवेदन का पूर्णतः खण्डन करते है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिकवक्ता के द्वारा अपीलार्थी का नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए, अंचल अधिकारी, रमना के नामान्तरण वाद सं0 735R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 केवाला सं0 1638 की छायाप्रति ..... 20 फर्द
02 A.R. केश नं0 15N/1956 -57 की छायाप्रति ..... 06 फर्द
03 ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति ..... 01 फर्द

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल लिखित जवाब, राजस्व कागजात तथा अंचल अधिकारी, रमना से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रश्नगत भूमि गत सर्वे के खाता सं0 154 प्लॉट सं0 542 में अपीलार्थी के द्वारा केवाला सं0 9518 दिनांक 27.12.1991 के द्वारा बिक्रेता बसन्त कुमार सिंह पिता रणधीर सिंह से रकबा 47 डीसमील भूमि, वो केवाला सं0 6121 दिनांक 18.07.1988 के द्वारा बिक्रेता छत्रपति सिंह पिता स्व0 केशो शरण सिंह से दो हिस्सा, बिक्रेता बालजी प्रसाद पिता रामलखन राम से तिहाई हिस्सा कुल

लगातार .....

Scanned with CamScanner

542 पुराना यह गलत

1	2	3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

रकबा 47 डीसमील भूमि तथा केवाला सं0 1383 दिनांक 20.05.1999 के द्वारा राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह से रकबा 46 डीसमील भूमि प्राप्त है। उक्त केवाला का दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत है। अपीलार्थी वो अजरूल बीबी पति आलेनबी शेख के नाम से रकबा 46 डीसमील भूमि का रसीद संलग्न है। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रश्नगत प्लॉट में कुल रकबा 1.86 एकड़ (एक एकड़ छियासी डीसमील) भूमि प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के बिक्रेतागण को प्रश्नगत प्लॉट की भूमि कैसे हासिल है इससे संबंधित कोई राजस्व कागजात दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा गत सर्वे के प्रश्नगत पुराना प्लॉट से हाल सर्वे के नया प्लॉट सें संबंधित भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी प्रश्नगत् प्लॉट पर दावा प्रमाणित करने में असफल रहे। प्रत्यर्थी/क्रेता रूबिना बीबी पति सुजाउदीन अंसारी ने केवाला सं0 1638 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा बिक्रेता जय कुमार सिंह पिता स्व0 बलराम सिंह से प्रश्नगत् प्लॉट में रकबा 42 डीसमील भूमि क्रय किये है। जिसका ऑनलाईन नामांतरण प्रत्यर्थी/क्रेता के नाम से होकर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे के खाता सं0 141 प्लॉट सं0 2802 रकबा 0.42 एकड़ भूमि के अलावे अन्य प्लॉटों का खतियान प्रत्यर्थी के बिक्रेता के पिता स्व0 बलराम सिंह पिता रामकरण सिंह के नाम दर्ज है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 735R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

13/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.13 11:39:14 +05:30
Location: 192.168.1.36

Scanned with CamScanner